R.M.M. Law College- Saharsa.
Manorama Mandal
part time Lecturer

Subject- Hindu Marriage Act
Part-1

Q(1) क्या पत्नि के पति की इच्छा के विरुद्ध दूसरे शहर में नौकरी करने एवं वहाँ रहने से पति के वैवाहिक अधिकारों का हनन होगा ?

Ans- उपरोक्त प्रश्न का उत्तर न्यायालय द्वारा निर्णित मुख्यत: तीर्थ कौर बनाम कृपाल सिंह तथा शान्ति निगम बनाम रमेशचन्द्र निगम के वाद में स्पष्ट कर दिया गया है। संक्षेप में इस वाद को रेखांकित किया जाता है-

- तीर्थ कौर बनाम कृपाल सिंह के मामले में अभिकथन संक्षेप में इस प्रकार थे कि दोनों पक्षकारों का विवाह सन 1953 में हुआ और सन 1958 तक दोनों पक्षकार साथ-साथ रहे और पति-पत्नी के कर्तव्यों को निभाते रहे। तत्पश्चात पत्नी ने पति की इच्छा के अनुसार अपने माता-पिता के यहाँ आकर उन्हीं के खर्च पर प्रशिक्षण लेकर सन 1959 में कपड़े सिलने का डिप्लोमा प्राप्त किया और पति के आग्रह पर एक अलग शहर में नौकरी कर ली और इस प्रकार दोनों पति-पत्नी का एक ही शहर में रहना समाप्त हो गया। पति का यह कहना था कि जहाँ वह रहता है वहाँ उसकी पत्नी वहाँ नहीं रहती है जिससे उसके वैवाहिक जीवन के अधिकारों का हनन होता है। पत्नी का कहना था कि वह अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं है, परन्तु अपने वैवाहिक संबंधों को निभाने को वह सदा तैयार थी और जब भी उसे छुट्टियां मिलती थी उसके पास रहने को सदा तैयार थी और उसका पति यदि चाहे तो उसके पास आकर रह सकता है, लेकिन अगर उसका पति उसे 80 रु० माहवार एवं जमीन भी उसके नाम कर दे फिर भी वह नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं। उच्च न्यायालय पंजाब द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि पति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और ऐसी स्थिति में पत्नी पति के साथ रहकर उसके इच्छा के विरुद्ध दूसरे शहर में नौकरी करती है तो इससे पति के वैवाहिक अधिकारों का हनन होगा।

शान्ति निगम बनाम रमेशचन्द्र निगम के मामले में तथ्य इस प्रकार थे कि दोनों पक्षकारों का विवाह फैजाबाद में सन् 1951 में हुआ और विवाह के समय पत्नी इलाहाबाद में एक Intermediate College में vice-Principal थी और उसकी आय 250 रु० प्रतिमाह थी जबकि रमेशचन्द्र निगम Magistrate के पद पर तैनात थे। रमेशचन्द्र की पहली पत्नी मर चुकी थी

Scanned with CamScanner

P-2 क्या पत्नी के पति की इच्छा के विरुद्ध दूसरे शहर में नौकरी करने एवं वहाँ रहने से पति के वैवाहिक अधिकारों का हनन होगा ?

जिससे उसके दो बच्चे थे। ये दोनों पति पत्नी के रूप में 1955 तक इलाहाबाद में रहे जिसके बाद पति का तबादला इलाहाबाद से वाराणसी हो गया अतः वह सन् 1956 तक वाराणसी में रहा। उसके बाद कानपुर तथा सन् 1959 में लखनऊ तबादला हो गया। पत्नी इलाहाबाद में नौकरी करती रही और पति के तबादले के बाद अपने माता-पिता के पास इलाहाबाद में ही रहने लगी। इस प्रकार पति-पत्नी अपनी-अपनी नौकरी अलग-अलग स्थान पर करते रहे और उनके इस विवाह से भी दो बच्चे पैदा हुए। सन् 1957 तक वह बिना किसी शिकायत के एक दूसरे के साथ पति-पत्नी के रूप में रहते रहे जिसके बाद उनमें मन-मुटाव शुरू हुआ और सन् 1960 में इस मतभेद ने उग्र रूप धारण कर लिया। रमेशचन्द्र निगम जब लखनऊ में तैनात था तो वह अपने पत्नी के यहाँ इलाहाबाद गया और उसको नौकरी छोड़कर अपने साथ लखनऊ में ठहरने के लिए कहा तथा इस बात की धमकी भी दी कि यदि वह नौकरी छोड़कर उसके साथ लखनऊ नहीं रहेगी तो वह कानूनी कार्यवाही करेगा। पति की इस धमकी पर पत्नी ने कोई ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार पति द्वारा धारा-9 में याचिका प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर विचार किया गया क्या पत्नी का पति से, कुछ परिस्थितियों में, अलग रहने पर यह माना जा सकता है कि उसने पति की वैवाहिक संगति से त्याग कर रखा है। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि यदि पत्नी पति से अलग स्थान पर नौकरी करने पर भी अपने वैवाहिक दायित्वों को निभाने में ढील नहीं बरतती और पति को यह पूरी छूट है कि वह कभी भी उसके पास जा सकता है और अपने वैवाहिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है

Scanned with CamScanner

P-3 क्या पत्नी को पति की इच्छा के विरुद्ध दूसरे शहर में नौकरी करने एवं वहाँ रहने से पति के वैवाहिक अधिकारों का हनन होगा?

और साथ ही साथ जबकि एक दूसरे पर कोई चरित्रहीनता की शंका नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी के अलग स्थान पर नौकरी करने से यह नहीं माना जा सकता कि वह जान बूझ कर उसकी संगति को त्यागने की नीयत से अलग रह रही है। विचारण न्यायालय के इस मत का अनुमोदन करते हुए उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वैवाहिक दायित्वों को निभाने के लिए यह जरूरी नहीं कि दोनों पक्षकार एक ही छत के नीचे रहे। यदि पति साल में या माह में एक दो बार भी पत्नी के पास आने के लिए सक्षम है और पत्नी द्वारा अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करने में कभी उदासीनता नहीं दिखाई जाती है तो पति यह नहीं कह सकता कि पत्नी ने उसकी संगति से मुंह मोड़ लिया है। इस प्रकार पति अपनी इच्छा को पत्नी पर इस प्रकार थोप नहीं सकता कि उसकी पत्नी नौकरी छोड़ कर अपने पति के निवास स्थान पर आकर रहे। यदि वह मजबूरन आर्थिक स्थिति के कारण पति से अलग दूसरे स्थान पर नौकरी कर रही है और सदा अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करती है तथा कोई ढील नहीं बरतती एवं उसके चरित्र में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार वैवाहिक दायित्वों को निभाने के लिए पत्नी का पति के साथ एक ही छत के नीचे रहना आवश्यक न मानते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पति की दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन की याचिका को रद्द कर दिया गया।

The end